

प्रारूप-2

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये
परियोजना का विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि०मी०)

(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि०मी०)
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है। पृष्ठ संख्या
(ग) परियोजना की लागत।	243.54 लाख
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	आरक्षित वनभूमि व नाप भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।
(ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मानव दिवस (275/9 मार्च दिवस)
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 4.41 हे०, नापभूमि 0.385 हे०, सिविल सोयम भूमि 0.28 हे० एवं मक डिस्पोजल 0.329 हे०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	—
(क) परिवारों की संख्या	—शून्य—
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	—शून्य—
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	—शून्य—
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	— नहीं—
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्रमाण पत्र एवं आगणन संलग्न हैं।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	पृष्ठ संख्या- 2 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

प्रयोक्ता एजेन्सी

दिनांक 23.09.20

स्थान 23.09.20

अधिसासी अभियन्ता

नाम मोहर

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर